

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 53/2022

अपीलार्थी-

चांदी देवी पुत्री धनाराम पत्नी  
हुकमाराम जाति माली निवासी  
अम्बावाड़ी तहसील शिव जिला  
बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

1. धापूदेवी पत्नी अशोक कुमार  
जाति माली निवासी  
अम्बावाड़ी तहसील शिव  
जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार शिव

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश क्रमांक 122422 दिनांक 05.07.2022 जो उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पुनड़, अधिवक्ता रेस्प0 संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्प0 संख्या 2 प्रफोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना-पत्र पर पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म-क में एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा अम्बावाड़ी के खसरा नम्बर 9907/910 रकबा 0-1619 बीघा में से 1354 वर्गमीटर भूमि अपनी खातेदारी भूमि का



  
जिला कलक्टर

आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने दिनांक 29.07.2022 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. अपीलांत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन भूमि के पास अपनी खातेदारी मौजा अम्बावाड़ी के खसरा नम्बर 990/910 रकबा 0-1619 बीघा में से 1354 वर्गमीटर भूमि भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांत व उतरदाता संख्या 1 के पिता धना के नाम से सेटलमेंट से खातेदारी खेत मौजा शिव पटवार क्षेत्र शिव के खसरा नम्बर 22 रकबा 28 बीघा अवस्थित है। धना के सात पुत्र बगताराम, आम्बाराम, तुलछाराम, जगमालराम, पेमाराम, खीमाराम, खंगराराम व चार पुत्रियां चांदीदेवी, अकलो, बबरी, अणसी है। जिसका मुतवफी धनाराम की उक्त आराजी मे बराबर हिस्सा के खातेदारी अधिकार है। अपीलांत व उतरदाता संख्या 1 के पिता की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा वारीसान की गलत सूचना देकर भरवाया गया। अपीलांत के हक व हिस्सा को महरूम करने के उद्देश्य से उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों के धनाराम वारीसान की गलत सूचना देकर अपीलांत का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया तथा उनके हिस्से की जमीन से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं कर वंचित रखा गया। जिस पर अपीलांत के द्वारा अपने हक व अधिकारो की घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव में दावा पेश किया गया जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन



  
जिला कलक्टर

आदेश द्वारा संपरिवर्तन कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से संपरिवर्तन नहीं करने बाबत उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध एवं न्याय के मूलभूत एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदार रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब कर नियमानुसार शुल्क अदायगी पर अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार से लगाकर संपरिवर्तन एवं उसके पश्चात के समस्त अन्तरण विधिवत रूप से हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि नहीं हुई है और न ही शुल्क इत्यादि की राजकोष को हानि हुई है। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है जो सव्यय खारित फरमाई जावें।



6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म-क में एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा अम्बावाड़ी के खसरा नम्बर 990/910 रकबा 0-1619 बीघा में से 1354 वर्गमीटर भूमि अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा स्वीकार कर दिया।

  
जिला कलेक्टर

उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने दिनांक 29.07.2022 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रकट किया कि अपीलांत व उतरदाता संख्या 1 के पिता की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा वारीसान की गलत सूचना देकर भरवाया गया। अपीलांत के हक व हिस्सा को महरूम करने के उद्देश्य से उतरदाता संख्या 1 व उसके भाईयों के द्वारा राजस्व कर्मचारियों के धनाराम वारीसान की गलत सूचना देकर अपीलांत का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया तथा उनके हिस्से की जमीन से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं कर वंचित रखा गया। जिस पर अपीलांत के द्वारा अपने हक व अधिकारो की घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव में दावा पेश किया गया जो विचाराधीन है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदार रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब कर नियमानुसार शुल्क अदायगी पर अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया हैं। अतः अपीलांत की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो सब्यय खारित फरमाई जावें। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है उक्त संपरिवर्तन आदेश अन्तर्गत भूमि वादग्रस्त है तथा पक्षकारों के खातेदारी अधिकारो का अंतिम विनिश्चयन होना शेष है। इस प्रकार विवादित भूमि के स्वरूप एवं किस्म परिवर्तित कर देने से उक्त वाद में जटिलता एवं वादो की बहुलता होगी। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 05.07.2022 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।




  
जिला कलक्टर  
चंडीगढ़

राजस्व अपील/53/2022/चांदी देवी बनाम धापूदेवी व अन्य

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार शिव द्वारा मौजा अम्बावाड़ी के संपरिवर्तन आदेश 122422 दिनांक 05.07.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांत की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख पर लेते हुए नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उचित जांच उपरान्त नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( टीना डाबी )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर